

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रीमती कमलीबाई वनाम सुरजमल

किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 484 / 2023

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27/12/23

2023
599

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती कमलीबाई
पत्नी श्री नानुराम वजारा

निवासी मिश्री की पीपली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम
पीपली (पन्ह. शोड़ू) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 712/1099

कुल कीता 01 कुल रकबा 0.4400 है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड हैं।

अतः प्रार्थी की ग्राम पीपली (पन्ह. शोड़ू) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 712/1099

कुल कीता 01 रकबा 0.4400 है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500/- रुपये अक्षरे पान्च से रप्पर प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़